फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

शीर्षक– राजश्री पंवार बनाम हेमेन्द्रसिंह

प्रकरण संख्या :– 72 /2024

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
23.12.2024	प्रार्थी के अधिवक्ता किशनलाल शर्मा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह एक आवश्यक प्रकृति का मामला है, इसमें आज ही एकतरफा सुनवाई की जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 275 पुराना 257 आराजी नम्बर 280 से लगायत 287, 2866, 2867, 2869, 2870, 2871, 2876 कुल किता 14 रकबा 4.5000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के दादा प्रभसिंह एवं प्रार्थीया की परदादी मुलीबाई के नाम संवत् 2055 से 2058 की राजस्व जमबान्दी मे अंकित है। उक्त वर्णित भूमियां पुस्तेनी है। प्रार्थीया के दादा, परदादी के स्वर्गवास के बाद उक्त वर्णित भूमिया प्रार्थीया के पिता हेमेन्द्रसिंह के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हुई थी। हेमेन्द्रसिंहं के हिस्से मे से प्रार्थीया को जन्म से आधी कृषि भूमि का हक, अधिकार प्राप्त है। खाता संख्या नया 1396 पुराना 1183 आराजी नम्बर 2866मी. कुल किता 01 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि मे विपक्षी संख्या 01 का राजस्व रेकार्ड मे 299/1350वां हिस्सा अंकित है। उक्त 299/1350वां हिस्से मे प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्से, कब्जे–स्वामित्व, आधिपत्य की है। खाता संख्या नया 1053 पुराना 897 आराजी नम्बर 5825/282 कुल किता 01 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि मे विपक्षी संख्या 01 का राजस्व रेकार्ड मे 1/2 हिस्सा अंकित है। उक्त 1/2 हिस्से मे प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्से, कब्जे–स्वामित्व, आधिपत्य की है। खाता संख्या नया 803 पुराना 31 आराजी नम्बर 2869मी. कुल किता 01 रकबा 0.0454 हैक्टेयर भूमि मे	

विपक्षी संख्या 01 का राजस्व रेकार्ड मे 1/10वां हिस्सा अंकित है। उक्त 1/10वां हिस्से मे प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्से, कब्जे–स्वामित्व, आधिपत्य की है। खाता संख्या नया 1395 पुराना 1185 आराजी नम्बर 2868 कुल किता 01 रकबा 0.2381 हैक्टेयर भूमि मे विपक्षी संख्या 01 का राजस्व रेकार्ड मे 23/2381वां हिस्सा अंकित है। उक्त 23/2381वां हिस्से मे प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्से, कब्जे–स्वामित्व, आधिपत्य की है। उपरोक्त भूमियों के अलावा खाता संख्या नया 1397 आराजी नम्बर 2870मी., 5824/284 कुल किता 02 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज थी जो विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 02 को पोसीदा तोर पर विक्रय कर दी है, जिसका कानूनन हक अधिकार प्राप्त नही है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा उक्त भूमियां खरीदने के बाद आराजी नम्बर 5824/284 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 03 को विक्रय कर दी जिससे विवादित भूमियो पर अजनबी केता विपक्षी संख्या 02,03 जबरन हस्तक्षेप करना चाहते है जिससे विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने जमाबन्दी 2074 से 2077 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनता है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का देखते हुए आगामी तारीख पेशी तक विपक्षीगण के विरूद्ध विवादित आराजियात में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद खाता संख्या नया 1396 पुराना 1183 आराजी नम्बर 2866मी. कुल किता 01 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 1053 पुराना 897 आराजी नम्बर 5825/282 कुल किता 01 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 1395 पुराना 1185 आराजी नम्बर 2868 कुल किता 01 रकबा 0.2381 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 1397 आराजी नम्बर 2870मी. कुल किता 01 रकबा 0.1500, खाता संख्या 1602 आराजी नम्बर 5824/284 कुल किता 01 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक तरफा स्थगन आदेश जारी

किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होते ही वकील प्रार्थी के लिए बहस अनिवार्य होगी अन्यथा उसी दिन स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। स्थगन की तामील आवश्यक रूप से करावें।

प्रार्थी अधिवक्ता हुक्म ईमतनाई पेश करने पर अप्रार्थीगण की तलबी मय नकल से हो। पत्रावली वास्ते देखने तामील/जवाब/बहस के दिनांक 16.01.2025 को पेश हो।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर आमेट
जिला राजसमन्द

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः– 116/2024 शीर्षकः– राजश्री पंवार बनाम हेमेन्द्रसिंह

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
12.05.2025	वाद अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् मिसल तलबी हेतु प्रस्तुत किया कि वादीया इस वाद को विड्रो करना चाहती है जिससे सिगह से पत्रावली आज ही तलब फरमायी जावे एवं पत्रावली में आज कार्यवाही किए जाने का आदेश प्रदान फरमावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पत्रावली में नियत तिथि 26.06.2025 अंकित है, किन्तु तलबी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पत्रावली तलब की गई। वादीया द्वारा वाद को विड्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीया अपना नया वाद लाने का अधिकार रिर्जव रखते हुये इस वाद में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीया की पहचान उनके अधिवक्ता किशनलाल शर्मा द्वारा की गई। पत्रावली में कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली खारिज(विड्रो) की जाती है। पत्रावली तद्नुसार निर्णित हो। (गोविन्द सिंह) न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द	Rajshree